FORM NO. 111
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) आसीन्द ,जिला भीलवाडा

सजनी बनाम माध

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 धारा 151 जा.दी. प्र.सं. 51/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.8.21	पत्राव. पेश हुई । बार संघ द्वारा हडताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है । पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible]/अन्य आवश्यक कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 4.10.21 को पेश हो आज्ञा से रीडर सहायक कलक्टर आसीन्द	
4.10.21	पत्राव. पेश हुई । बार संघ द्वारा हडताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है । पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible]/अन्य आवश्यक कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 3.1.2022 को पेश हो आज्ञा से रीडर सहायक कलक्टर आसीन्द	
3.1.22	पत्राव. पेश हुई । बार संघ द्वारा हडताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है । पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible]/अन्य आवश्यक कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 14.2.22 को पेश हो आज्ञा से रीडर सहायक कलक्टर आसीन्द	
14.2.22	पत्राव. पेश हुई । बार संघ द्वारा हडताल/शोकसभा/ न्यायिक पैरवी कार्य स्थगित रखा गया है । पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible]/अन्य आवश्यक कार्य भ्रमण/अवकाश में पधारने से पत्रावली दिनांक 4.4.2022 को पेश हो आज्ञा से रीडर सहायक कलक्टर आसीन्द	
04.04.2022	पत्रावली पेश हुई । वकील प्रार्थीगण [illegible] । वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना [illegible] आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश कर संक्षिप्त में निवेदन किया है कि एक प्रकरण आप न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88-89-188 RTA मे विचाराधीन होकर प्रकरण संख्या 26/2012 में सुनवाई हेतु दिनांक 21.10.2019 नियत थी । उक्त दिनांक को प्रार्थीगण अधिवक्ता अन्य कोई आवश्यक कार्य	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.04.07 16:59:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.) आसीन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

होने से न्यायालय में हाजिर नहीं हो पाये इस बिनाय पर उक्त अनवान के वाद पत्र को अदम हाजरी /अदम पैरवी में आप न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था । उक्त प्रकरण को न्यायहित में पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किया जाना उचित होकर न्यायहित में है अन्यथा वादीगण न्याय से महरूम हो जायेंगे । अतः प्रार्थीगण / अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अनवान की पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थी संख्या 2 मांगी पत्नि कल्याण की मृत्यु हो जाने पर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जी.दी का पेश कर संक्षेपतः निवेदन किया कि मांगी की मृत्यु दिनांक 5.6.2021 को हो गयी है जिनके वारिसान प्रार्थना पत्र में पूर्व में ही पक्षकार कायम है । अतः अप्रार्थी संख्या 2 का प्रार्थना पत्र में नाम डिलिट किया जाना न्याय हित है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 का नाम डिलिट किया जाकर प्रार्थना पत्र में उनके नाम के सम्मुख लाल स्याही से " डिलिट " अंकन के आदेश दिये जाते है । साथ ही वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 2 व 13 की मृत्यु पर संशोधित शीर्षक पेश किया है जो शामिल पत्रावली किया जावें।

विपक्षी संख्या 1 से 12 एंव विपक्षी संख्या 13 के विधिक वारिसानों के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है । उनके नाम की विधिवत रूप से रूक-रूक कर आवाज लगवायी जाने पर उनके बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

वकील प्रार्थीगण की एक पक्षी [illegible] सुनी गयी । वक्त बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना [illegible] को दोहराया तथा कथन किया कि वकील प्रार्थी[illegible] जानबूझ कर न्यायालय से गैर हाजिर नहीं रहे है । वक्त [illegible]यायालय सुनवाई वकील प्रार्थीगण अन्य न्यायालय में विधिक पैरवी में व्यस्त होने से समय पर हाजिर नहीं हो पाये इस कारण प्रकरण में वादपत्र खारिज फरमा दिया । मूल वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.04.07 16:59:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) आसीन्द

उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश करने तथा तथा विपक्षीगण द्वारा न्यायालय से गैर हाजिर रहकर कोई आपत्ति पेश नहीं करने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.का स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद प्रकरण संख्या 26/2012 को तलब कर पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली मूल फाइल के साथ संलग्न की जावें। निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर{S.D.O.}
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.04.07 16:59:07 IST
Reason: SelfAttested